कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.–9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 23/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 14.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस-नोट
जनपद – आज़मगढ़
दिनांक – 14.01.2026

➡️ थाना मुबारकपुरः धोखाधड़ी से अर्जित धन से क्रय की गई भूमि कुर्क करने का आदेश पारित

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के निर्देश के क्रम में वादी मैनुद्दीन पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार के तहरीर पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-324/25 धारा 406, 506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए सम्पत्ति कुर्की हेतु मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ के यहां रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी।

➡️ थाना मुबारकपुर जनपद आज़मगढ़ के उपनिरीक्षक धर्मराज यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी से अर्जित धनराशि से क्रय की गई भूमि को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रकरण के अनुसार अभियुक्तगण अमान अहमद पुत्र शहवान एवं फरहाना बानो पत्नी अमान अहमद, निवासी ग्राम करमैनी, थाना बिलरियागंज, जनपद आज़मगढ़ द्वारा पीड़ित मैनुद्दीन पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार से धोखाधड़ी करते हुए कुल ₹36,00,000/- (छत्तीस लाख रुपये) प्राप्त किए गए, जिसमें से ₹16,00,000/- आरटीजीएस के माध्यम से एवं शेष धनराशि नगद प्राप्त की गई।

धोखाधड़ी से प्राप्त उक्त धनराशि से अभियुक्तों द्वारा दिनांक 04.02.2022 को ग्राम चांदपट्टी, परगना व तहसील सगड़ी, थाना रौनापार, जनपद आज़मगढ़ में स्थित निम्न भूमि क्रय की गई—

- गाटा संख्या 595 – 0.0568 हे०
- गाटा संख्या 593 – 0.0692 हे०
- गाटा संख्या 637 – 0.0020 हे०
- गाटा संख्या 660 – 0.0081 हे०

कुल क्षेत्रफल 0.1361 हेक्टेयर, जो कि फरहाना बानो का अंश है।

➡️ मा0 न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध बैनामा, बैंक अभिलेख, लेखपाल रिपोर्ट एवं अभियोजन के तर्कों का सम्यक परीक्षण करते हुए यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि उपरोक्त भूमि आपराधिक कृत्य से अर्जित धन से क्रय की गई है, जिस पर अभियुक्त का कोई वैध अधिकार नहीं बनता।

➡️ अतः मा0 न्यायालय द्वारा धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत जिलाधिकारी, आज़मगढ़ व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि को नियमानुसार कुर्क कर कुर्की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 14.01.2026

थाना मुबारकपुर अंतर्गत ग्राम अमिलो में पारिवारिक विवाद/मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु, मामले में 05 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

➡️ आज दिनांक 13/14.01.2026 की रात्रि लगभग 11:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमिलो निवासी मोहम्मद ताहिर पुत्र हाफिजुर रहमान एवं उनकी पत्नी शबाना खातून के साथ संपत्ति विवाद को लेकर उनके परिजनों — मोहम्मद आमिर, कासिफ कमर, मोहम्मद सलीम, रेहाना खातून, नसीमा बानो तथा बहनोई दानिश आदि द्वारा मारपीट की गई।

➡️ घटना में मोहम्मद ताहिर एवं शबाना खातून को हाथ, पैर व सिर में गंभीर चोटें आईं, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय आज़मगढ़ भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान आज प्रातः मोहम्मद ताहिर (उम्र लगभग 32 वर्ष) की मृत्यु हो गई।

➡️ उल्लेखनीय है कि पूर्व में शबाना खातून द्वारा अपने ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके उपरांत मोहम्मद ताहिर को उनके पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था।

➡️ इसी संपत्ति विवाद को लेकर दोनों पक्षों के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न हुआ, जो उक्त घटना का कारण बना।

➡️ थाना प्रभारी मुबाकरपुर द्वारा 05 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस नोट
थाना – जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़
थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में थाना जीयनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।
दिनांक **13.01.2026** को प्रभारी निरीक्षक **राजकुमार सिंह** के नेतृत्व में उ0नि0 **विश्वजीत पाण्डेय** मय हमराह पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र अंतर्गत **रजादेपुर चौराहा** पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान **मुखबिर खास** द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति **अजमतगढ़ से मसोना गांव होते हुए रजादेपुर की ओर ऑटो रिक्शा से आ रहा है**, जिसके पास **अवैध असलहा** है। तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा रजादेपुर चौराहे से कुछ दूरी आगे **दिनांक 13.01.2026 को समय करीब 22:35 बजे** नियमानुसार घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम **ओमचन्द यादव पुत्र स्व0 बेचन यादव**, निवासी **चकलालचन्द, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़**, उम्र **19 वर्ष** बताया।
तलाशी के दौरान अभियुक्त के पहने हुए पैंट के कमरबंद से **एक अदद तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर **मु0अ0सं0 23/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा को **ई-चालान ऐप के माध्यम से धारा 207 एमवी एक्ट** में सीज किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- **नाम:** ओमचन्द यादव, **पिता का नाम:** स्व0 बेचन यादव, **निवासी:** चकलालचन्द, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, **उम्र:** 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण:

- एक अदद तमंचा .315 बोर
- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग:

- मु0अ0सं0 23/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास:

- मु0अ0सं0 23/2026 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय – थाना जीयनपुर
2. का0 अजय पाठक – थाना जीयनपुर
3. का0 जय सिंह पटेल – थाना जीयनपुर
4. का0 हरिकिशन मौर्या – थाना जीयनपुर

जनपद पुलिस आमजन की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

प्रेस नोट, दिनांक – 14.01.2026
थाना – तरवां, जनपद – आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है।
दिनांक **11.01.2026** को थाना तरवां पर प्राप्त तहरीर के आधार पर पंजीकृत मुकदमा **मु0अ0सं0 0006/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस** में विवेचना के दौरान अपहृता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।
इसी क्रम में **दिनांक 13.01.2026** को उ0नि0 **कान्ता प्रसाद पाल** मय पुलिस टीम द्वारा **कबूतरा बाजार** से अभियुक्त **आकाश कुमार पुत्र अशोक राम**, निवासी ग्राम खरिहानी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ (उम्र करीब 22 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया तथा समय करीब **16:05 बजे** अपहृता को सकुशल बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग:

- मु0अ0सं0 0006/2026, धारा 137(2), 87 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- **नाम:** आकाश कुमार, **पिता का नाम:** अशोक राम, **निवासी:** ग्राम खरिहानी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, **उम्र:** लगभग 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 कान्ता प्रसाद पाल – थाना तरवां
2. म0का0 ममता पाण्डेय – थाना तरवां

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत जनपद पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा ऐसे अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

प्रेस नोट
थाना – कोतवाली, जनपद – आजमगढ़
हैक हुआ व्हाट्सएप व मोबाइल फोन कराया गया सही, साइबर ठगी के 5,000 रुपये पीड़ित को वापस दिलाए गए
घटना का विवरण:
थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पाण्डेय बाजार निवासी शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनका **व्हाट्सएप अकाउंट एवं मोबाइल फोन हैक** हो गया, जिसके पश्चात उनके **बैंक खाते से 5,000 रुपये की धनराशि अनधिकृत रूप से कट गई**। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्राप्त शिकायत पर थाना कोतवाली के **साइबर प्रभारी एवं उनकी टीम** द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज की गई तथा तकनीकी सहयोग प्राप्त कर **त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही** की गई। कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता का हैक हुआ **व्हाट्सएप अकाउंट एवं मोबाइल फोन सफलतापूर्वक सही कराया गया** तथा साइबर ठगी से कटे हुए **5,000 रुपये नियमानुसार कार्यवाही कर शिकायतकर्ता के बैंक खाते में वापस कराए गए**।
जनसामान्य से अपील:
आम जन से अपील की जाती है कि यदि भविष्य में बिना जानकारी के आपके बैंक खाते से कोई धनराशि कट जाती है तो **तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें** अथवा वेबसाइट **www.cybercrime.gov.in** पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही, अपने संबंधित बैंक में लिखित सूचना अवश्य दें तथा नजदीकी थाना स्थित **साइबर हेल्प डेस्क** से संपर्क करें, जिससे त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम – थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
2. का0 दीपचन्द्र कुशवाहा – थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
3. का0 आशुतोष दूबे – थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट
थाना – कोतवाली, जनपद – आजमगढ़
कारागार के सरकारी खाते से 52.85 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 06 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

श्रीमान जिलाधिकारी, आजमगढ़ महोदय द्वारा *डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़* के साथ संयुक्त बैठक में अनुमोदन के पश्चात थाना कोतवाली, आजमगढ़ पर जिला कारागार के सरकारी खाते से बड़े पैमाने पर की गई वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में संगठित अपराध में संलिप्त गिरोह के 06 अभियुक्तों के विरुद्ध **उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

➡️ दिनांक **10.10.2025** को वादी मुकदमा **आदित्य सिंह, वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार, आजमगढ़** द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर यह प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा आपसी मिलीभगत कर जिला कारागार कार्यालय की **चेकबुक पर जेलर के फर्जी एवं कूटरचित हस्ताक्षर** बनाकर विभिन्न तिथियों में **सरकारी खाते से कुल 52,85,000 रुपये की अवैध निकासी/गबन** किया गया।

➡️ इस संबंध में थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 516/25 धारा 318(4)/61(2)/316(5) बीएनएस** बनाम कुल अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए। अभियुक्त **रामजीत यादव** द्वारा गबन की गई धनराशि से खरीदी गई **बुलेट मोटरसाइकिल (UP**

50 5398) एवं **स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (UP 50 CW 0799)** को धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत जब्त कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया।

➡ विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध **आरोप पत्र संख्या A-531/25 दिनांक 29.11.2025** माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जांच में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि उक्त गिरोह द्वारा यह आपराधिक कृत्य **आर्थिक, भौतिक एवं अवैध लाभ अर्जित करने** के उद्देश्य से संगठित रूप से किया गया है।

➡ उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध **गैंगचार्ट** तैयार कर **धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986** के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गई, जिसे **दिनांक 09.01.2026** को जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के साथ संयुक्त बैठक में अनुमोदित किया गया। अनुमोदन के पश्चात थाना कोतवाली पर **मु0अ0स0 14/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट** अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का विवरण:

1. रामजीत यादव उर्फ संजय पुत्र रामाश्रय यादव ग्राम जमुआ सागर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़,

2. शिवशंकर यादव उर्फ गोरख यादव पुत्र लालजी यादव नि0 चक मेऊवां थाना रानी की सराय आजमगढ़,

3. मुशीर अहमद पुत्र स्व0 सगीर अहमद निवासी कन्नौजा खुर्द थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज हाल पता वरिष्ठ सहायक जिला कारागार इटौरा आजमगढ़,

4.अवधेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 जुगुल किशोर पाण्डेय ग्राम सहतवार थाना सहतवार जनपद बलिया हाल पता चौकीदार जिला कारागार इटौरा जनपद आजमगढ

5. सतमी देवी पत्नी रामासरे नि0 ग्राम जमुवा सागर पोस्ट पतिलागौसपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़,

6. नीतू यादव पत्नी रामजीत यादव निवासी ग्राम जमुआ सागर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी:

- बुलेट मोटरसाइकिल UP 50 5398
- स्प्लेंडर मोटरसाइकिल UP 50 CW 0799

अभियुक्तगण की स्थिति:

सभी अभियुक्त वर्तमान में **जिला कारागार, आजमगढ़** में निरुद्ध हैं।

पंजीकृत अभियोग:

- मु0अ0स0 14/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

- ***1-*** *मु0अ0सं0 516/25 धारा 318(4)/61(2)/316(5) 338/336(3)/340(2) बीएनएस,* थाना कोतवाली, आजमगढ़
- ***2-*** *मु0अ0स0 14/2026 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986,* थाना कोतवाली, आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस संगठित अपराध, सरकारी धन की लूट एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।